ई–मेल द्वारा जारी

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर–302015

फोन : 0141–2973804, 2988946 **Website:** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं / काउ.(सत्र 2019–20) / 2019 / 2948 **दिनांक :** 12-12-19

प्रधानाचार्य,
संबंद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय / संस्थान,
राजस्थान।

विषय : प्रशिक्षण सत्र 2019–20 में विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तीन चरणों की काउन्सलिंग के पश्चात् रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के संबंध में जारी दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के द्वारा सत्र 2019–20 में विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु तीन चरणों की काउन्सलिंग के पश्चात् पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त राजकीय व निजी पैरामेडिकल महाविद्यालय / संस्थाओं में रिक्त रही सीटों पर संबंधित महाविद्यालय / संस्थान द्वारा अपने स्तर पर व फेडरेशन द्वारा प्रेषित किये गये अभ्यर्थियों के समस्त मूल दस्तावेज प्राप्त करते हुए निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के **अनुसार दिनांक 13.12.2019 प्रातः 10.00 बजे से अन्तिम दिनांक 27.12.2019 सायंकाल 05.00 बजे तक** संबंधित महाविद्यालय / संस्थान अपनी SSO ID के माध्यम से ऑन लाईन वैब पोर्टल पर प्रवेश प्रदान कर सकते है।

1. सर्वप्रथम संबंधित महाविद्यालय / संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के निम्न मूल दस्तावेज प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें:–
    1. 10वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
    2. 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
    3. प्रव्रजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate)।
    4. मूल निवास।
    5. जाति प्रमाण पत्र।
    6. आधार कार्ड एंव अन्य कोई भी फोटो पहचान आई.डी जो राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा जारी की छायाप्रति।
    7. राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (Medical Fitness Certificate), अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (Medical Fitness Certificate) **30 दिवस से अधिक अवधि से पुराना है, तो मान्य नहीं होगा।**
    8. अन्य दस्तावेज जैसे P.H. Certificate/ WDP(Wards of Defense Personal) Certificate/ WPP(Wards of Para-military Personnel) Certificate/Widow/ Divorcee Certificate, जो **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों।**
2. जिन अभ्यर्थियों के द्वारा सत्र 2019–20 में ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में पुनः आवेदन शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के पूर्व में भरे गये आवेदन में दिये गये Application ID एवं Transaction ID संख्या (उदाहरण RPC-191XXXXX And XXXXXXXX) उपयोग करते हुए संबंधित महाविद्यालय / संस्थान की SSO ID के माध्यम से Web Form पर अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये तथ्यों / दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान किया गया जायेगा। दस्तावेजो / तथ्यों में अन्तर होने की स्थिति में कौंसिल को

12/12/19

तत्समय ही ई–मेल rpmc.helpdesk@gmail.com पर संबंधित दस्तावेज की प्रति के साथ प्रेषित करना होगा।

3. यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा सत्र 2019–20 में पूर्व में ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र नियमानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क **सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1500/– (अक्षरे रूपये एक हजार पांच सो मात्र)** आवेदन शुल्क तथा **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 1000/– (अक्षरे रूपये एक हजार मात्र)** आवेदन शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करना होगा तथा सभी विवरण/दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने होंगे।

4. इन रिक्त रही सीटों पर दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् प्रवेश हेतु पात्र पाये जाने पर उसी समय सर्वप्रथम संबंधित महाविद्यालय/संस्थान की SSO ID को Login करने पर वहाँ प्रदर्शित एप्लीकेशन (Application) HTE को खोलकर वहाँ पर दिये गये विकल्प Select Organization में Rajasthan Paramedical Council तथा Application में DMHS-Paramedical Council Admission 2019-20 का चयन करके संलग्न User Manual के अनुसार प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्यवाही सम्पन्न करनी है।

5. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अभ्यर्थी का ऑन लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तत्समय ही अभ्यर्थी का आवंटन पत्र ऑन लाईन जनरेट होगा, जो कि पैरामेडिकल कौंसिल की वैबसाईट www.rajasthanparamedicalcouncil.org पर दिये गये लिंक **OFFLINE ADMISSION ALLOTTMENT LETTER 2019-20 Link** पर Click करके अपनी Application ID and D.O.B. से प्राप्त कर सकते है।

6. इन रिक्त रही सीटों पर संबंधित महाविद्यालय/संस्थान अपनी SSO ID के माध्यम से ऑन लाईन वैब पोर्टल पर **दिनांक 13.12.2019 प्रातः 10.00 बजे से अन्तिम दिनांक 27.12.2019 सायंकाल 05.00 बजे तक आवश्यक** रूप से प्रवेश संबंधित समस्त कार्य सम्पन्न कर लेवें। ताकि प्रवेश के अंतिम समय **सायंकाल 05.00 बजे सॉफ्टवेयर के 'डिएक्टीवेट' (Deactivate) होने से पहले** प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो सकें। **इसके उपरान्त सत्र 2019–20 की प्रवेश प्रक्रिया अन्तिम रूप से पूर्ण हो जायेगी और इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा, इस प्रक्रिया के उपरान्त भी यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान में सीटें रिक्त रहने की स्थिति में उन्हें किसी भी अन्य प्रक्रिया से भरा नहीं जावेगा।**

7. समस्त महाविद्यालयों/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश देते समय प्रत्येक अभ्यर्थी के दस्तावेजों का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गहनता से जांच कर पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही अभ्यर्थी को प्रवेश दें। ऐसे नहीं करने पर इस संबंध में अभ्यर्थी को होने वाली किसी भी प्रकार की आर्थिक/मानसिक/समय की क्षति के लिए संबंधित महाविद्यालय/संस्थान जिम्मेदार होंगे तथा इसमें राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में कोई भी अभ्यर्थी/अभिभावक किसी भी न्यायालय में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के विरूद्ध किसी भी अनुतोष के पात्र नहीं होंगे, किन्तु संबंधित महाविद्यालय/संस्थाओं के विरूद्ध यदि अभ्यर्थी चाहे तो नियमानुसार अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

8. अभ्यर्थी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से कक्षा 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उसका सत्यापन **माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर** की समकक्षता निर्धारित करने संबंधी अनुदेशिका से मिलान करें। साथ ही संबंधित बोर्ड से अंक तालिकाओं का प्रमाणीकरण भी करवाया जावे।

9. अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अंक–तालिका के मिलान के समय यह सुनिश्चित करें कि **उच्च माध्यमिक परीक्षा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं व अन्य समस्त वर्गों के अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गई हो।** इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है।

10. अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषय) से उत्तीर्ण की गई है, यह सुनिश्चित करें। **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषयों के अलावा अन्य विषयों यथा कृषि विज्ञान, भूगोल विज्ञान आदि विषयों से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है।** किसी भी अनियमित प्रवेश पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्थान की होगी।

11. अभ्यर्थी की **आयु दिनांक 31.12.2019 तक 17 वर्ष** पूर्ण होनी अनिवार्य है।

12. यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांगजन (PH) श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगता (PH) प्रमाण पत्रों का परीक्षण राजकीय चिकित्सालय द्वारा मेडिकल बोर्ड से करवायें। परीक्षण के पश्चात् अभ्यर्थी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु पात्र पाये जाने पर ही प्रवेश दिया जावें। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा निर्धारित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में हेतु चयनित दिव्यांगजनों का मेडिकल बोर्ड परिक्षण कराने हेतु मापदण्ड की छायाप्रति संलग्न है।

13. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान प्रवेश देने से पूर्व अभ्यर्थी से राजकीय चिकित्सालय से Medical Fitness Certificate प्राप्त कर इसे भी जॉइनिंग के समय प्राप्त किया जायेगा। संबंधित महाविद्यालय/संस्थान इस प्रमाण पत्र पर अंकित राजकीय चिकित्सालय का नाम, जारी कर्ता प्राधिकारी का नाम, डिस्पेच क्रमांक व दिनांक भली प्रकार जाँच लेवें। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय चिकित्सालय से Medical Fitness Certificate पर जारी कर्ता अधिकारी का नाम/डिस्पेच नं. अंकित ना हो तो ऐसे अभ्यर्थियों से राजकीय चिकित्सालय की मेडिकल रिलीफ सोसायटी/OPD की रसीद प्राप्त करने के पश्चात् उसी राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी Medical Fitness Certificate प्रस्तुत करता है तो मान्य है, जो इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 2156 दिनांक 27.08.2019 के द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में अवगत करवाया जा चुका है।

14. यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसरण में अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backwward Class) जाति प्रमाण–पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य है लेकिन एक बार क्रीमिलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जायेगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा

सकता है, जो इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 2141 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप अवगत करवाया जा चुका है।

15. यदि कोई अभ्यर्थी अति पिछड़ा वर्ग (MBC) श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018, संशोधित परिपत्र क्रमांक 15633 दिनांक 27.02.2018 एवं परिपत्र क्रमांक 36546 दिनांक 21.06.2019 के अनुसरण में अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों के पास यदि अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अति पिछड़ा वर्ग (MBC) श्रेणी का लाभ देते हुए अभ्यर्थियों की जोईनिंग स्वीकार करें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु जारी प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग की जाति का स्पष्ट उल्लेख हो तथा आवेदक द्वारा अति पिछड़ा वर्ग (MBC) श्रेणी के लाभ के लिए आवेदन किया हो, को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त जातियों (1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया लौहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी, देबासी, 5. गड़रिया (गाडरी), गायरी) को अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा। जो इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 2140 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप अवगत करवाया जा चुका है।

16. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त करते हुए तत्समय ही अभ्यर्थी को इसकी प्राप्ति रसीद जारी करें।

17. उपरोक्त मूल दस्तावेज महाविद्यालय/संस्थान अपने स्तर पर जमा कर कौंसिल द्वारा मांगे जाने पर मूल ही उपलब्ध करवायें। छात्रों को मूल दस्तावेज परीक्षा हेतु नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दिये जायेंगे। अतः सभी अभ्यर्थियों को आगामी अन्य किसी आवश्यकता हेतु अपने मूल दस्तावेजों के आवश्यक मात्रा में फोटो प्रतियां करवा लेने हेतु निर्देशित एवं पाबन्द करें।

18. यदि अभ्यर्थियों के द्वारा डुप्लीकेट दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते (10वीं, 12वीं व माईग्रेशन प्रमाण पत्र) है, ऐसे अभ्यर्थियों से शपथ पत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित करवा लें कि अभ्यर्थी के मूल (Orignal) दस्तावेज कहीं खो गये है तथा अभ्यर्थी द्वारा अन्य कोई रेगूलर पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जा रहा है, यदि किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी।

19. सभी पैरा मेडिकल महाविद्यालय/संस्थाओं में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा तथा परीक्षा का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा, जिसका उत्तर भी अंग्रेजी भाषा में दिया जाना अपेक्षित होगा, ऐसा समस्त संबंधित अभ्यर्थी को भी अवगत करावें।

20. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश देने तथा फीस जमा कराये जाने के उपरान्त या अध्ययन के दौरान भी, किसी भी समय यह ज्ञात होने पर कि अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करता है अथवा उसकी अर्हक परीक्षा की समकक्षता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की परीक्षा के समकक्ष नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश उसी समय रद्द कर दिया जावेगा तथा इसके फलस्वरूप संबंधित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्राप्त की गई फीस को पुनःसंदाय (Refund) संबंधित अभ्यर्थी को किया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी द्वारा तथ्य छिपाकर अथवा

कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को फीस पुनःसंदाय(Refund) नहीं की जायेगी।

21. उपर्युक्तानुसार समस्त पैरा में अंकित दस्तावेज ओर उनकी प्रतिलिपियों की जांच संबंधित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की जावेगी और उनकी सत्यता व प्रमाणिकता की संतुष्टि उपरांत ही अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया जावेगा। यदि किसी भी दस्तावेज में उपर्युक्त वर्णित शर्तों/पात्रता का उल्लंघन होने पर भी यदि संबंधित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया जाता है तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा और राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा शास्ति (Panelty) के रूप में राशि रूपये 10,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण पर वसूल किये जायेंगे, तथा इस कारण इस सीट के रिक्त रहने की स्थिति की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय/संस्थान की होगी।

सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थियों के प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्यवाही संलग्न 'उपयोगकर्त्ता निर्देश' (User Menual) के अनुसार करें।

संलग्नः–

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर की समकक्षता निर्धारित करने संबंधी अनुदेशिका की प्रति
2. 'उपयोगकर्त्ता निर्देश' (User Menual)।

12/12/19

(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउ. (सत्र 2019–20)/2019/2948 **दिनांकः–** 12-12-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. परीक्षा नियत्रंक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
8. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
9. अध्यक्ष/सचिव, सोसायटी ऑफ प्राईवेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन्स, (पैरामेडिकल फेडरेशन – सोपमी) बी–137/बी, सेठी कॉलोनी, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, ऑवरब्रिज, आगरा रोड, जयपुर को इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके पास पैरामेडिकल पाठ्यक्रम इच्छुक अभ्यर्थी है तो संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, जिससे संबंधित महाविद्यालय /संस्थान निर्धारित समय पर अपनी SOO ID के माध्यम से अभ्यर्थियों का प्रवेश संबंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर सकें।
10. अध्यक्ष/सचिव, पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान, सी–18 गिरधारीपुरा, अजमेर रोड़, जयपुर को इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके पास पैरामेडिकल पाठ्यक्रम इच्छुक अभ्यर्थी है तो संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, जिससे संबंधित महाविद्यालय /संस्थान निर्धारित समय पर अपनी SOO ID के माध्यम से अभ्यर्थियों का प्रवेश संबंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर सकें।
11. सत्र 2019–20 में पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
12. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

12/12/19
रजिस्ट्रार

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लाट नं. 6, एवरेस्ट कॉलोनी, एपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर।
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

क्रमांक : प.()पैरामेडि.कौं / काउ. सत्र 2019–20 / 2019 / 2162 दिनांक :– 27/8/19

अधीक्षक,
सवाई मानसिंह चिकित्सालय,
जयपुर

विषय : सत्र 2019–20 में डिप्लोमा कोर्स में चयनित दिव्यांगजन का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाये जाने के मानदण्ड के संबंध में।
संदर्भ : इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक रा.पै.मेडि.कौं. / काउ.(सत्र 2019–20) / 2019 / 2108 दिनांक 16.08.2019 व 2150 दिनांक 27.08.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सान्दर्भिक पत्र की निरन्तरता में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा चयनित दिव्यांगजन का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाये के संबंध में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के संशोधित मानदण्ड निम्न प्राकर प्रेषित किये जा रहे है–

S.No.	Course	Disability criteria for eligibility as PH candidate
1	Diploma in Medical Lab. Technology	Both Leg/One Leg/Hearing Impairment
2	Diploma in Radiation Technology	One Leg/Hearing Impairment
3	Diploma in Cath Lab. Technology	One Leg/Hearing Impairment
4	Diploma in Dialysis Technology	One Leg/Hearing Impairment
5	Diploma in Operation Theatre Technology	One Leg/Hearing Impairment
6	Diploma in Blood Bank Technology	Both Leg/One Leg/Hearing Impairment
7	Diploma in Ophthalmic Technology	Both Leg/One Leg/Hearing Impairment
8	Diploma in ECG Technology	One Leg/Hearing Impairment
9	Diploma in EEG Technology	One Leg/Hearing Impairment
10	Diploma in Emergency & Trauma Care Technology	One Leg/Hearing Impairment
11	Diploma in Endoscopy Technology	One Leg/Hearing Impairment
12	Diploma in Orthopedic Technology	One Leg/Hearing Impairment

कृपया मेडिकल बोर्ड द्वारा इन अभ्यर्थियों का उपर्युक्त गाइडलाइन के अनुसार परीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करवाये जाने का श्रम करावें। उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार की दिव्यांगता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा भारत सरकार द्वारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी के संबंध में निर्णय लिया जाकर इसके संबंध में भी अवगत कराने का श्रम करावें। मेडिकल परीक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र का संशोधित प्रारूप भी इस पत्र के संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

27/8/19
(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांक : प.()पैरामेडि.कौं / काउ. सत्र 2019–20 / 2019 / 2162 दिनांक :– 27/8/19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर
2. रक्षित पत्रावली

27/8/19
रजिस्ट्रार